

की, जो मोटर में जाते हैं उनकी, आधा मील इधर और आधा मील उधर लगभग एक मील की कतार खड़ी हो जाती है, तो इसके लिये जो उत्तर दिया है उसमें कहा गया है : "जंगपुरा और डिफेंस कालोनी के बीच लिक रोड के समपार कोणू में चौड़ा करने का विचार था लेकिन अब उसके बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने का विचार है। लेकिन इसके बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।" तो जितने विकल्प हैं वे सब हूये और निर्णय नहीं हुआ लेकिन यह बतलाइये कि निर्णय कब करने वाले हैं।

श्री शाम नाथ : जनाबवाला, जैसा कि स्टेट-मेंट में कहा गया है, इसके लिये एक कमेटी बनाई गई है जिसमें दिल्ली की जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनसे यह कहा गया है कि वह जल्दी से जल्दी जितनी भी लेबिल आसिस है उनकी दो लिस्टें तैयार करें ताकि जो ज्यादा प्रायोरिटी के वर्क्स हैं उनको पहले लिया जाय और जो स्कीम्स ऐसी हैं जिनके लिये इंतजार किया जा सकता है उनको बाद में लिया जाय। जो कमेटी बनी है उसने यह डिसाइड किया है कि इस स्कीम को पहली प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया जाय और उसके लिये अभी तक एलोकेशन आफ फंड्स नहीं हुआ है इसलिये इसमें देर हो रही है।

प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तारंकार : श्रीमन्, जब भी कोई योजना बनती है तो पहले सड़क बनती है उसके बाद कालोनीज बनती हैं; कोई मकान बनाना है तो पहले नींव खोदी जाती है फिर छत बनाई जाती है लेकिन यहां पहले छत बनती है उसके बाद दीवार बनाते हैं और उसके बाद नींव खोदते हैं।

श्री शाम नाथ : रेलवे लाइन पहले मौजूद थी और डिफेंस कालोनीज और दूसरी कालोनीज बाद में वहां बनी है।

MR. CHAIRMAN : The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

PAYMENT OF INTEREST ON SPECIAL ADVANCE GIVEN TO TISCO

•192. SHRI A. D. MANI : Will the Minister of IRON AND STEEL be pleased to state;

(a) whether any agreement has been reached with the Tata Iron and Steel Company with regard to the payment of interest on the special advance of Rs. 10 crores given by Government in May, 1954; and

(b) if so, what are the details of the agreement?

THE MINISTER OF IRON AND STEEL. (SHRI T. N. SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The main features of the agreement are as follows:

- (1) Rupees five crores out of the principal to be repaid on or before 1st February, 1966. This has already been paid.
- (2) The balance of Rs. 5 a crores to be repaid in seven half-yearly instalments, the first instalment being due on the 31st March, 1969 and the last on 31st March, 1972.
- (3) Interest on the special advance for the period 1st July, 1958 to 31st March, 1961 to be waived.
- (4) For the period 1st April, 1961 to 31st March, 1965, interest to be paid in seven half-yearly instalments the first instalment being due on 31st March 1969, and- the last on the 31st March, 1972. From 1st April, 1965, interest at bank rate current from time to time on the outstanding special advance to be paid half-yearly.

स्कूटर के निर्माण के लिये लाइसेंस

* 196. श्री राजनारायण : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी में स्कूटरों के निर्माण के लिये लाइसेंस लेने के हेतु कोई आवेदन पत्र मार्च, 1964 में प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या लाइसेंस दे दिया गया है, यदि नहीं, तो लाइसेंस देने में देरी के क्या कारण हैं ?

"LICENCE FOR MANUFACTURE OF SCOOTER

*196. SHRI RAJNARAIN: Will the Minister or INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether any application was received in March, 1964 for obtaining a licence for the manufacturer of scooters at Varanasi; and

(b) if so, whether the licence has been granted, if not, the reason for the delay in granting the licence?]

उद्योग मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) बनारस में स्कूटर बनाने का एक कारखाना लगाने के लिए एक निजी पार्टी से मार्च, 1964 में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था लेकिन उस समय स्कूटर उद्योग के प्रतिबंधित सूची पर होने के कारण उसे अप्रैल, 1964 में रद्द कर दिया गया था। मार्च, 1965 में इस उद्योग से प्रतिबन्ध हटने पर उसी पार्टी ने 29 मार्च 1965 को एक नया प्रार्थनापत्र दिया। इस प्रार्थनापत्र पर इसी प्रकार के प्राप्त हुए अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ अभी विचार हो रहा है।

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI D. SANJIVAYYA) (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT (a) and (b) The application from a private party for establishment of a scooter factory at Varanasi, received in March, 1964 was rejected in April, 1964 as the scooter industry was then on the banned list. After the ban on this industry was removed in March, 1965 the same party submitted a fresh application on 29th March 1965. This application is still under consideration along with several similar applications received from other parties.]

ALCOHOLIC BEVERAGES FROM MOLASSES

*203. SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state;

(a) whether Government allows sugar factories to manufacture alcoholic beverages from molasses for purposes of export;

[f]] English translation.

(b) if so, what is the amount of foreign exchange likely to be earned by such exports; and

(c) the quantum of import of alcoholic beverages for the years 1962 to 1965 and the expected import in 1966-1967

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI MANUBHAI SHAH) : (a) to (c) A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Licensing of units for the production of alcoholic beverages is at present on the banned list. Some part of the present production of these beverages can be exported.

(b) No firm idea can be given about the amount of foreign exchange which can be earned by such exports.

(c) Figures relating to the quantum and value of imports of Alcoholic beverages during the last 5 years are as under;

	Quantity	Value
	'000' litres	Rs. lakhs
1961-62	604.5	37.12
1962-63	448.6	26.62
1963-64	466.6	27.85
1964-65	550.9	36.17
1965-66	452.3	30.89

(April-January)

UNSOLD STOCKS WITH HMT

*204. SHRI B. K. MAHANTI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the HMT have in their stock unsold milling machines worth Rs. 1J crores; and

(b) if so since when these stocks are lying unsold ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) and (b) As on the 31st March, 1966, Hindustan Machine Tools Limited had an unsold stock of milling machines worth Rs. 1T3 crores. The accumulation started in October 1965 as a result of poor off-take of machines because of the fall in demand.

चाकलेट का आयात

*205. श्री महावीर दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चाकलेट का आयात किया जाता है; और